माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 पुनर्विलोकन

मुन्नालाल पुत्र श्री चिरोंजीलाल सुमन, निवासी–
फतेहपुर तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवी सिंह कुशवाह निवासी–
माधव नगर जिला शिवपुरी म.प्र.

.....अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.10.2016 पारित द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वलियर म.प्र. के प्र.क्र. 2583–II/2016/निगरानी से असन्तुष्ट होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यहकि, आवेदक मुन्नालाल पुत्र श्री चिरौंजीलाल सुमन, निवासी–फतेहपुर तहसील व जिला शिवपुरी का निवासी स्थित उक्त विवादित भवन में पूर्व से ही निवास करता आ रहा है।
2. यहकि, उक्त विवादित भवन आवेदक द्वारा उसके मूल स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से निवास करने के दौरान क्रय सहमति हुई, किन्तु उसको भवन क्रय करने इसलिये वह भवन अपने मित्र अनावदेक लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवी सिंह के नाम अनुबंध .पत्र कराकर जो कि शासकीय कर्मचारी है को बैंक से ऋण मिला और उक्त भवन से पूर्व स्वामी से पूर्ण कब्जा अनुबंध–पत्र आवेदक की सहमति से प्राप्त कर लिया।

— क्या 4500/- रूपये हर माह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –3619–दो/16 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
25 10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 एल0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2583–दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 14.10.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3619–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2583–दो/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.10.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3619–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।	

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य